सत्यमेव जयते

न्यायालय
सहायक कलक्टर / उपखण्ड अधिकारी
गुढामालानी

(पीठासीन अधिकारी —केशव कुमार मीना आर.ए.एस.)

वाद संख्याः— 2026 / 5 दर्ज तिथिः—13.02.2026

1. अशोक कुमार पुत्र हरीराम
2. उदाराम पुत्र भगाराम
3. किशनाराम पुत्र धूड़ाराम
4. किशनाराम पुत्र कानाराम
5. जगामालराम पुत्र मेगाराम
6. जगमालराम पुत्र विरधाराम
7. धर्माराम पुत्र मेगाराम
8. पूनमाराम पुत्र सागरराम
9. पांचाराम पुत्र सागरराम
10. भीखाराम पुत्र कानाराम
11. मनीषा पुत्री बाबुलाल
12. मीरादेवी पत्नी बाबुलाल
13. मोहनलाल पुत्र धूड़ाराम
14. वरींगाराम पुत्र मेगाराम
15. सुदामाराम पुत्र भगाराम
16. सुरेश पुत्र जगमाल
17. सुरेश पुत्र हरीराम
18. सोहनलाल पुत्र धूड़ाराम
19. सोहनी पत्नी जगमालराम
20. हीरा देवी पत्नी हरीराम
21. जनता पत्नी किशनाराम
22. विमला देवी पत्नी श्रवण कुमार

   जाति विश्नोई निवासी रामवास कोजा तहसील धोरीमना

......................प्रार्थीगण

बनाम

1. उतमाराम पुत्र साजनराम
2. हरीराम पुत्र वगताराम
3. करनाराम पुत्र वगताराम
4. गवरी पत्नी भगवानाराम
5. तुलछाराम पुत्र वगताराम
6. पुखराज पुत्र विरधाराम

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2026.05.06 10:55:23 IST
Reason: SelfAttested

7. कालूराम पुत्र विरधाराम
8. हीरादेवी पत्नी विरधाराम
9. डूगराराम पुत्र धूड़ाराम
10. पूनमचन्द पुत्र भगवानाराम
11. पूनमाराम पुत्र साजनराम
12. भाखराराम पुत्र वगताराम
13. रामी पत्नी साजनराम
14. धर्मी पत्नी किशनाराम
15. वरींगाराम पुत्र बांकाराम
16. सीनी पुत्री बांकाराम
17. हरदास पुत्र मंगलाराम
18. अणदाराम पुत्र नरींगाराम
19. दिनेश पुत्र भींयाराम
20. नेनू पत्नी सोनाराम
21. पांचाराम पुत्र रामकिशन
22. पाबूराम पुत्र सोनाराम
23. बाबूलाल पुत्र मंगलाराम
24. बालूराम पुत्र भगाराम
25. भैराराम पुत्र मंगलाराम
26. भंवराराम पुत्र मंगलाराम
27. मोहनलाल पुत्र रामकिशन
28. रामलाल पुत्र भीयाराम
29. अणभा पत्नी भींयाराम
30. वीरों पत्नी उदाराम
31. श्रवण पुत्र भींयाराम
32. सुगणी पत्नी रामकिशन
33. सुजानाराम पुत्र मंगलाराम
34. सदराम पुत्र अमराराम
35. सदराम पुत्र रामकिशन
36. सुरजन पुत्र भींयाराम
37. सोनाराम पुत्र अमराराम
38. हनुमानराम पुत्र भींयाराम
39. किशनाराम पुत्र रामकिशन
40. घमुराम पुत्र नरींगाराम
41. चनणाराम पुत्र भगाराम
42. चुनाराम पुत्र अमराराम
43. जैकिशन पुत्र भगाराम
44. जमना पत्नी मंगाराम
45. तेजाराम पुत्र नरींगाराम
46. चुनी पत्नी वगताराम
47. धूड़ाराम पुत्र दौलाराम
48. बाबूलाल पुत्र वगताराम

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2026.05.06 10:55:23 IST
Reason: SelfAttested

49. बिरबल पुत्र हरीराम
50. भागीरथ पुत्र भींयाराम
51. रमेश पुत्र हरीराम
52. रामकिशन पुत्र दौलाराम
53. विकास कुमार पुत्र बाबुलाल
54. सुखराम पुत्र वगताराम
55. सुखराम पुत्र मेगाराम
56. हरजीराम पुत्र चुनाराम
57. हरीराम विश्नोई पुत्र वगताराम
58. रामजीवन पुत्र भीयड़ा
    जाति विश्नोई निवासी रामवास तहसील धोरीमना

................असल अप्रार्थीगण

59. प्रबन्धक एस0बी0आई0 शाखा भूणिया
60. प्रबन्धक राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैंक शाखा धोरीमना
61. तहसीलदार धोरीमना

.... तकमीली अप्रार्थीगण

उपस्थित अधिवक्ता
प्रार्थीः— श्री हापूराम
अप्रार्थीगणः— श्री मोहनलाल खिलेरी
प्रार्थना—पत्र अन्तर्गत धारा—251ए
राजस्थान काश्तकारी अधि.—1955

—:निर्णयः—

निर्णय तिथिः—04.05.2026

1. आज यह पत्रावली प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251—क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955 वास्ते निर्णय पेश हुई। प्रकरण का सुक्ष्म वृतान्त इस प्रकार से है कि प्रार्थी द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251—'क' के अन्तर्गत एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि प्रार्थी की खातेदारी आराजी खसरा संख्या 525/18.8421 है0 मौजा रामवास पटवार हल्का कोजा तहसील धोरीमना में खसरा संख्या 516/5.8113 है0, 523/10.7646 है0, 522/12.0596 है0, 524/15.0705 है0 मौजा रामवास पटवार हल्का कोजा तहसील धोरीमना (परिशिष्ट 'अ' बंरग लाल) से होकर नवीन रिकॉर्डेड रास्ता हेतु अनुतोष चाहा गया है। प्रार्थी का कथन है कि प्रार्थी की आराजीयात तक कोई रिकॉर्डेड रास्ता दर्ज रिकॉर्ड नहीं है तथा उक्त आवेदित रास्ते के अतिरिक्त अन्य कोई लघुत्तम मार्ग का विकल्प नहीं होने के कारण उक्त आवेदित रास्ते को रिकॉर्ड में दर्ज कर प्रार्थी का प्रार्थना—पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

जवाब

2. प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 14 से 15, 25, 29, 30, 33, 34, 37, 38, 42 विधिवत तामील बाद असालतन—वकालतन उपस्थित न्यायालय हुआ। शेष अनुपस्थित अप्रार्थीगण के विरूद्ध

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2026.05.06 10:55:23 IST
Reason: SelfAttested

एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 14 से 15, 25, 29, 30, 33, 34, 37, 38, 42 द्वारा जवाब मय आपत्तियां प्रस्तुत कर निम्न प्रकार निवेदन कियाः—

2.1. कि प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत परिशिष्ट'अ' में प्रदर्शित रास्ते का उपयोग प्रार्थीगण द्वारा कभी उपयोग में नहीं लिया है। हस्तगत प्रकरण में तहसीलदार धोरीमना द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट में खसरा संख्या 516 में घर होना बताया गया है। जिससे यह साबित हो रहा है उक्त प्रस्तावित मार्ग कभी उपयोग में नहीं रहा है।

2.2. कि प्रार्थीगण ने आवेदन पत्र में यह कही भी उल्लेखित नहीं किया है कि प्रार्थीगण को रास्ते की अत्यांतिक आवश्यकता है और अन्य वैकल्पिक रास्ते का कोई विकल्प उपलब्ध नहीं है। जबकि प्रार्थीगण द्वारा परिशिष्ट 'अ' अनुसार रास्ता विगत कई वर्षों से रास्ते के रूप में उपयोग लेना बताया गया है। इस प्रकार प्रार्थीगण को कई वर्षों से रास्ते का विकल्प उपलब्ध होने से प्रार्थीगण का आवेदन राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955 की धारा 251ए उपधारा 2 के तहत विधि वर्जित होने से मय खर्चा खारिज किया जावे।

2.3. कि तहसीलदार धोरीमना द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट में प्रार्थीगण के आवागमन हेतु द्वितीय विकल्प मार्ग क से ख स्थान पर लघुत्तम दुरी का रास्ता उपलब्ध होने से प्रार्थीगण द्वारा चाहे गए रास्ते की दुरी दीर्घत्तम होने व विप्रार्थी की खातेदारी को दो भागो में विभक्त करते हुए रास्ता चाहा गया है। इस प्रकार प्रार्थीगण का आवेदन अप्रार्थीगण को परेशान करने की नियत से एवं राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955 की धारा 251ए उपधारा 2 के प्रावधानो के विपरीत पेश किया हुआ होने से पोषणीय नहीं होने से खारिज किया जावे।

2.4. कि विप्रार्थीगण द्वारा जवाब के साथ प्रस्तुत परिशिष्ट 'ब' में बरंग लाल प्रार्थीगण की आराजी तक रास्ते के रूप में पहुंच हेतु नजदीकतम वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध है। प्रार्थीगण का अभिकथन परिशिष्ट 'अ' बरंग लाल स्थान को विप्रार्थीगण बंद कर देते है व रूकावट / बाधा डालते है। उक्त कथन मनगढ़त व काल्पनिक होने एवं सुविधा हेतु नया मार्ग चाहने एवं रास्ते की अत्यधिक आवश्यकता नहीं होने के कारण प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र मय खर्चा खारिज फरमाया जावे।

2.5. कि हस्तगत प्रकरण में तहसीलदार धोरीमना द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट अप्रार्थीगण को बिना सूचित किये मनमाने तरीके से तैयार की गई है। उक्त मौका रिपोर्ट पर अप्रार्थीगण के हस्ताक्षर भी नहीं है और न ही मौका रिपोर्ट उभय पक्षकारान की उपस्थिति में बनाई गई है। इस प्रकार माननीय राजस्व मण्डल के पत्रांक रा.म. / न्याय / स्था. / प—51 / 2008 / विविध दिनांक 05.10.2025 द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन किये बिना मौका रिपोर्ट बनाई गई है जो अपने आप में प्रभावहीन है। इस संबंध में माननीय राजस्व मण्डल की नजीर महावीर प्रसाद बनाम मोहनलाल 2016—17 आर.आर.टी. 597 प्रस्तुत है।

2.6. कि तहसीलदार धोरीमना द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट में प्रार्थीगण की आराजी खसरा संख्या 525 तक पहुंच हेतु निकटतम दुरी का मार्ग वैकल्पिक, सुगम, प्राकृतिक अवरोध रहित डामर सड़क से खसरा संख्या 527 के सेढ़ा सेढ़ जो परिशिष्ट 'ब' में बरंग लाल से दर्शाया गया है, का मौका रिपोर्ट में लोप किया

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2026.05.06 10:55:23 IST
Reason: SelfAttested

गया है। इस प्रकार हस्तगत प्रकरण में पुनः मौका रिपोर्ट मंगवाए जाने का निवेदन किया।

2.7. कि प्रार्थीगण द्वारा आवेदन पत्र में कदीमी रास्ता होना बताया गया है इस प्रकार राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955 की धारा—251ए उपधारा—2 की शर्तों पर प्रार्थी का आवेदन खरा नहीं उतरने के कारण खारिज किये जाने योग्य है।

2.8. प्रार्थीगण द्वारा उक्त आवेदन से पूर्व आवेदन पत्र में चाहे गए रास्ते को कदीमी रास्ता दर्ज करवाए जाने के संबंध न्यायालय में प्रकरण सरकार बनाम धर्मी विचाराधीन है। कदीमी रास्ता प्रकरण सरकार बनाम धर्मी में सफलता नहीं मिलने के कारण हस्तगत आवेदन पेश किया है।

2.9. कि प्रार्थीगण द्वारा खसरा संख्या 525 के समस्त खातेदारों को प्रार्थी पक्षकार के रूप में संयोजित नहीं करके विप्रार्थी संख्या 46 से 60 के रूप में संयोजित किया गया है। इस प्रकार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र संधारण योग्य नहीं है। जिसके संबंध में माननीय राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा रामलाल बनाम भागीरथ 2021(1) आर.आर.टी. 330 में प्रतिपादित किया कि भूमि का विभाजन नहीं हुआ व विभाजन के अभाव में रास्ता प्रदान नहीं किया जा सकता है।

2.10. विप्रार्थीगण ने जवाब के समर्थन में निम्न न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किये

1. गिरदावरी बनाम सुल्तानराम 2017(1) आर.आर.टी. 423 माननीय राजस्व मण्डल अजमेर
2. जगमाल बनाम कर्णसिंह 2016(1) आर.आर.टी. 440 माननीय राजस्व मण्डल अजमेर
3. जगदीश बनाम मनफूल 2019(2) आर.आर.टी. 1543 माननीय राजस्व मण्डल अजमेर
4. जगदीश बनाम केसराराम 2021(2) आरआरटी 1286 माननीय राजस्व मण्डल अजमेर
5. प्रमोद बनाम सुर्जितसिंह 2022—23 आर.आर.टी. 282 माननीय राजस्व मण्डल अजमेर
6. उमराव बनाम धन्नी 2022(2) आर.आर.टी. 938 मननीय राजस्व मण्डल अजमेर
7. मेहरा चौधरी बनाम पृथ्वीराज पुरोहित 2018(1) आर.आर.टी. 706 राजस्व मण्डल अजमेर

- इस प्रकार प्रार्थीगण द्वारा उक्त आवेदन विप्रार्थी को परेशान करने के उद्देश्य से पेश किया हुआ होने से मय खर्चा खारिज फरमाया जावे।

3. प्रकरण में विप्रार्थी संख्या 01 ता 13, 18, 20 ता 22, 24, 27, 32, 34, 35, 39, 40, 41, 43, 45 द्वारा उपस्थित होकर प्रार्थीगण को बिना प्रतिफल प्राप्त किये रास्ते हेतु भूमि देने बाबत सहमति पत्र पेश किया।

4. प्रकरण में तहसीलदार धोरीमना से राजस्थान काश्तकारी (सरकार) नियम—1955 के नियम—68 लगायत 70 के अनुसार मौका जॉच रिपोर्ट तलब की गई। तत्पश्चात् प्रकरण में तहसीलदार धोरीमना द्वारा अपने पत्रांक / भू0अ0 / 2025 / 2318 दिनांक 11.09.2025

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2026.05.06 10:55:23 IST
Reason: SelfAttested

अनुसार प्रेषित मौका रिपोर्ट तैयार करने में अपनायी गई प्रक्रिया का विवरण निम्न प्रकार हैः—

प्रक्रिया हेतु प्रावधान	अपनायी गई प्रक्रिया
Sub-Divisional Officer shall either inspect the site himself or	भू—अभिलेख निरीक्षक, धोरीमना मय पटवारी मौका निरीक्षण किया जाकर मौका रिपॅार्ट तैयार की गई।
get it inspected by an officer not below the rank of the Inspector Land Records	प्रकरण में दिनांक 27.08.2025 को भू—अभिलेख द्वारा मय पटवारी स्वयं मौका निरीक्षण किया जाकर मौका रिपॅार्ट तैयार की गई।
प्रकरण में पक्षकारो को मौका निरीक्षण हेतु जरिये नोटिस मौका निरीक्षण की दिनांक के बारे में पूर्वसूचित किया जाकर मौका रिपॅार्ट तैयार की गई।	1. प्रकरण में समस्त प्रार्थीगण को मौका निरीक्षण हेतु कार्यालय तहसीलदार तहसील धोरीमना के पत्रांक एसपीएल 01 से एसपीएल 60 दिनांक 19.08.2025 द्वारा मौका निरीक्षण की दिनांक 27.08.2025 के बारे में पूर्वसूचित किया जाकर मौका रिपॅार्ट तैयार की गई। 2. प्रकरण में समस्त अप्रार्थीगण को मौका निरीक्षण हेतु कार्यालय तहसीलदार तहसील धोरीमना के पत्रांक एसपीएल 01 से एसपीएल 60 दिनांक 19.08.2025 द्वारा मौका निरीक्षण की दिनांक 27.08.2025 के बारे में पूर्वसूचित किया जाकर मौका रिपॅार्ट तैयार की गई। रिपोर्ट का नजरी नक्शा निम्न प्रकार हैः—

जिरह

5. प्रकरण में विद्वान अभिभाषक उभयपक्षकारान की जिरह सुनी गई। विद्वान अभिभाषक प्रार्थीगण ने दौराने जिरह प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि खसरा संख्या 516/5.8113 है0, 523/10.7646 है0, 522/12.0596 है0, 524/15. 0705 है0 मौजा रामवास पटवार हल्का कोजा तहसील धोरीमना (परिशिष्ट 'अ' बरंग लाल) में से होकर प्रार्थीगण की खातेदारी आराजी खसरा संख्या 525/18.8421 है0 मौजा रामवास पटवार हल्का कोजा तहसील धोरीमना तक रास्ता उपलब्ध करवाया जावे। प्रकरण में प्रार्थीगण द्वारा दौराने बहस निवेदन किया कि तहसीलदार की मौका रिपोर्ट व नजरी नक्शें में प्रस्तावित बरंग नीला रंग से अंकित रूट बिन्दु संख्या अ से ब तथा परिशिष्ट 'अ' में प्रस्तावित अनुसार वैकल्पिक रास्ते के विकल्प अनुसार प्रार्थी को रास्ता प्रदान किया जावे। क्योंकि प्रार्थी का आवागमन खसरा संख्या परिशिष्ट 'ब' में दर्शाए रास्ते से ही करता आ रहा है एवं यह लघुत्तम दुरी भी है। अभिभाषक अप्रार्थी ने दौराने—ए—जिरह प्रार्थीगण द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दौहराते हुए निवेदन किया कि तहसीलदार की मौका रिपोर्ट व नजरी नक्शें में प्रस्तावित बरंग लाल रंग से अंकित रूट बिन्दु संख्या क से ख तथा परिशिष्ट 'ब' में प्रस्तावित अनुसार वैकल्पिक रास्ते के विकल्प अनुसार प्रार्थी को रास्ता प्रदान किया जावे। क्योंकि यह लघुत्तम दुरी भी है। प्रार्थना पत्र प्रार्थी की आराजी तक आवागमन हेतु अप्रार्थीगण के खातेदारी खेत

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2026.05.06 10:55:23 IST
Reason: SelfAttested

खसरा संख्या से नहीं होकर खसरा संख्या 527 व 526 के सेढ़े से होकर रास्ता चलायमान हैं। इसलिए खसरा संख्या 516/5.8113 है0, 523/10.7646 है0, 522/12.0596 है0, 524/15.0705 से चलायमान नहीं होने से खारिज किये जाने का निवेदन किया गया।

कानूनी—प्रावधान

6. प्रकरण में प्रार्थना पत्र के साथ तहसीलदार की मौका—रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। बहस पर मनन किया गया। प्रकरण में तथ्यों का गहन विश्लेषण से पूर्व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955 की धारा 251—'क' का उद्धरण यहाँ प्रतीत होता है—

> ***251A. Laying of underground pipeline or opening a new way through another khatedar's holding or enlarging the existing way.*** *- (1) Where -*
>
> *(a) a tenant intends to lay an underground pipeline through the holding of another khatedar for the purpose of irrigation of his holding; or*
>
> *(b) a tenant or a group of tenants intend to have a new way, or enlargement or widening of an existing way, through the holding of another khatedar to have access to his holding or, as the case may be, their holdings of and the matter is not settled by mutual agreement, the tenant or the tenants, as the case may be, may apply for such facility to the Sub-Divisional Officer concerned, and the Sub-Divisional Officer, if he is satisfied after a summary inquiry, that*
>
> *(i) the necessity is absolute necessity and it is not for mere convenient enjoyment of holding; and*
>
> *(ii) particularly in case of a new way through another khatedar's holding, that absence of alternative means of access proved may, be order, allow the applicant, to lay pipeline, at least three feet beneath the surface of the land, along 'the line demarcated or pointed out by the tenant who holds that land, or to have a new way. not wider than thirty feet, through the land on such track as pointed out by the tenant who holds that land, and if no such track is pointed out, through the shortest or nearest route, or to enlarge or widen the existing way, not exceeding up to thirty feet, on payment of such compensation as may be determined by the Sub-Divisional Officer, in the prescribed manner, to the tenant who holds the land through which the right to lay pipeline or have a new way or enlarge or widen an existing way is granted or in lieu of payment of compensation,* ***on transfer of land in exchange of equal area in the name of such tenant preferably having the same price and adjoining to his land.***
>
> *(2) Where a right to have a new way or enlarge or widen an existing way is granted under sub-section (1), the tenancy in respect of the land comprising such way shall be deemed to have been extinguished and the land shall be recorded as rasta in the revenue records.*

Signature Not Verified
Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2026.05.06 10:55:23 IST
Reason: SelfAttested

(3) The persons permitted to avail any of the facilities referred to in sub-section (1) shall not, by virtue of the said facility, acquire any other right in the holding through which such facility is granted.

5. इसी प्रकार राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955 की धारा 251—'क' के प्रावधानों की क्रियान्विति हेतु बनाये गये राजस्थान काश्तकारी (सरकार) नियम 1955 के नियम 68 लगायत 70 का उद्धरण करना यहां प्रासंगिक प्रतीत होता है जो इस प्रकार है—

68. Application under Sec. 251-A. *- An application for grant of permission under sub-sec. (1) of 251-A of the Act shall be in Form 1.*

69. Enquiry and disposal of application. *- On receipt of an application in Form I, the Sub-Divisional Officer shall either inspect the site himself or get it inspected by an officer not below the rank of the Inspector Land Records and invite objections from the affected persons. The Sub-Divisional Officer after affording an opportunity of being heard to the parties and making such further enquiry, as he thinks necessary, if satisfied that-*

(i) the necessity is absolute necessity and it is not for mere convenient enjoyment of holding; and

(ii) particularly in case of a new way through another khatedar's holding, that absence of alternative means of access is proved, may allow the application. The application shall be decided by the Sub-Divisional Officer within 90 days from the date of application.

70. Determination of compensation. *- (1) The amount of compensation payable under sub-sec. (1) of Sec. 251-A of the Act, shall be determined in the following manner:-*

(i) if the parties mutually agree on the amount of compensation, the Sub-Divisional Officer, shall determine the amount of compensation as per the mutual agreement.

(ii) if the parties do not agree mutually on the amount of compensation, the Sub-Divisional Officer shall determine the amount of compensation for the land equivalent to-

(a) two times of the rates recommended by the District Level Committee constituted under clause (b) of sub-rule (D of Rule 2 of the Rajasthan Stamps Rules, 2004 or the rates determined by the State Government under sub-rule (2) of Rule 58 of the Rajasthan Stamps Rules, 2004, in the matter of a new way or enlargement or widening of an existing way; and

(b) 10% of the rates recommended by the District Level Committee; constituted under clause (b) of sub-rule (1) of Rule 2 of the Rajasthan Stamps Rules, 2004 or the rates determined by the State Government under sub-rule (2) of Rule 58 of the

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2026.05.06 10:55:23 IST
Reason: SelfAttested

Rajasthan Stamps Rules, 2004, in the matter of laying underground pipeline.

(2) In addition to the value of land determined under clause (a) or (b) of sub-rule j (1), if any loss or damages caused due to removal of standing trees, crops or structure, the amount of actual loss or damages shall also be determined.

विश्लेषण

6. उक्त राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955 की धारा 251—क एवं राजस्थान काश्तकारी (सरकार) नियम—1955 के नियम—68 लगायत 70 के अवलोकन से स्पष्ट है कि धारा 251—क के अन्तर्गत कोई खातेदार अपनी खातेदारी आराजी तक कृषि कार्य बाबत् आमद—रफत हेतु अन्य खातेदारों की खातेदारी आराजी में से होकर कुछ शर्तों के अधीन नवीन रास्ता रिकार्डेड अंकित करवा सकता है। इस हेतु उक्त राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955 की धारा 251—क निम्न पूर्वशर्तो को आरोपित करती है जो इस प्रकार है—

   1. *प्रार्थी हेतु रास्ते बाबत् अन्य रिकॉर्डेड रास्ते के विकल्प की अनुपस्थिति।*
   2. *खातेदार की रास्ते बाबत् आत्यान्तिक आवश्यकता।*
   3. *लघुत्तम दूरी का नवीन मार्ग के विकल्प का प्रस्ताव।*

वैकल्पिक रास्ते की अनुपलब्धता

7. राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955 की धारा—251—क एवं राजस्थान काश्तकारी (सरकार) नियम—1955 के नियम—68 लगायत 70 द्वारा अध्यारोपित उक्त पूर्वशर्तो के तहत प्रकरण का विश्लेषण किया जाना अपेक्षित है। सर्वप्रथम प्रथम शर्त *प्रार्थी हेतु रास्ते बाबत् अन्य रिकॉर्डेड रास्ते के विकल्प की अनुपस्थिति* का विश्लेषण किया जाना अपेक्षित है। उक्त प्रावधान के अंतर्गत सर्वप्रथम यह देखा जाना आवश्यक है कि प्रार्थी की खातेदारी आराजी तक पहुंच हेतु कोई रिकॉर्डेड रास्ता उपलब्ध नहीं है अथवा नहीं। उक्त शर्त के विश्लेषण में निम्न तीन स्थितियां सामने आती हैः—

   1. प्रथम स्थिति में अगर प्रार्थी की खातेदारी आराजी तक पहुंच हेतु कोई रिकॉर्डेड रास्ता पूर्व से उपलब्ध है और उक्त रिकॉर्डेड रास्ता मौके पर चालू है तो ऐसी स्थिति में प्रार्थी को उक्त रिकॉर्डेड रास्ते से ही आवागमन करना चाहिए। इस स्थिति में उक्त आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना—पत्र खारिज किया जाना उचित प्रतीत होता है।

   2. द्वितीय स्थिति में अगर प्रार्थी की खातेदारी आराजी तक पहुंच हेतु कोई रिकॉर्डेड रास्ता पूर्व से उपलब्ध है और उक्त रिकॉर्डेड रास्ता मौके पर अतिक्रमण की वजह से चालू नहीं है तो ऐसी स्थिति में प्रार्थी को उक्त रिकॉर्डेड रास्ते को मौके पर अतिक्रमण हटवाकर चालू करवाने के लिये संबंधित कानूनी प्रावधानों के तहत कार्यवाही करते हुए अनुतोष प्राप्त करना चाहिए। इस स्थिति में उक्त आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना—पत्र खारिज किया जाना उचित प्रतीत होता है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2026.05.06 10:55:23 IST
Reason: SelfAttested

3. तृतीय स्थिति में अगर प्रार्थी की खातेदारी आराजी तक पहुंच हेतु कोई रिकॉर्डेड रास्ता उपलब्ध नहीं है तो उस स्थिति में प्रार्थी के प्रार्थना—पत्र को प्रथम शर्त को पुष्ट मानते हुए द्वितीय शर्त पर परखा जाना चाहिए।

8. उक्त प्रकरण में प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र के पैरा संख्या—4 में अन्य वैकल्पिक रास्ते की अनुपलब्धता का जिक्र किया गया है। प्रकरण में तहसीलदार धोरीमना द्वारा अपने पत्रांक / भू.अ. / 2025 / 2318 दिनांक 11.09.2025 द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट के अवलोकन से भी प्रार्थी की खातेदारी आराजी तक रिकॉर्डेड रास्ते का अंकन नहीं होना स्पष्ट किया गया है। प्रकरण में राजस्व ग्राम कोजा तहसील धोरीमना के राजस्व नक्शे में प्रासंगिक भाग के अवलोकन से प्रतीत होता है कि प्रार्थी की खातेदारी आराजी तक विद्यमान रास्ते से मुख्य सड़क तक पहुंच हेतु कोई वैकल्पिक रास्ता दर्ज रिकॉर्ड नहीं है। इस प्रकार प्रकरण उक्त तृतीय स्थिति के अंतर्गत आता है एवं शर्त संख्या 01 की पूर्णरूप से पुष्टि प्रतीत होती है।

रास्ते की आत्यांतिक आवश्यकता

9. प्रथम शर्त की पुष्टि पश्चात् द्वितीय शर्त *खातेदार की रास्ते बाबत् आत्यान्तिक आवश्यकता* का विश्लेषण किया जाना अपेक्षित है। उक्त प्रावधान के अंतर्गत यह देखा जाना आवश्यक है कि प्रार्थी की खातेदारी आराजी तक पहुंच हेतु वास्तव में रास्ते की आवश्यकता केवल सुविधाजनक नहीं होकर आवश्यकता आत्यांतिक है। उक्त शर्त के विश्लेषण में निम्न तीन स्थितियां सामने आती हैंः—

1. प्रथम स्थिति में प्रार्थी द्वारा आवेदित रास्ता पूर्व से ही दर्ज रिकॉर्ड / कट्टाण रास्ते / सड़क से आरम्भ होकर प्रार्थी की आराजी तक नवीन रास्ता चाहा गया है। ऐसी स्थिति में स्पष्ट होता है कि प्रार्थी द्वारा पूर्व से ही दर्ज रिकॉर्ड एवं विद्यमान / मौके पर चालू रास्ते से आगे अपनी खातेदारी आराजी तक पहुंच हेतु रास्ता चाहा गया है। इस स्थिति में प्रार्थी को अपनी खातेदारी आराजी तक पहुंच हेतु वास्तव में रास्ते की आवश्यकता केवल सुविधाजनक नहीं होकर आवश्यकता आत्यांतिक प्रतीत होती है। उक्त स्थिति में प्रार्थी का प्रार्थना—पत्र द्वितीय शर्त की पुष्टि करता प्रतीत होता है।

2. द्वितीय स्थिति में प्रार्थी द्वारा पूर्व से ही प्रार्थी की खातेदारी आराजी तक पहुंचने वाले लेकिन रिकॉर्ड में दर्ज नहीं होकर केवल मौके पर चालू कदीमी रास्ते / सड़क को धारा—251—ए के तहत विद्यमान मौके पर चालू कदीमी रास्ते / सड़क की चौड़ाई या विस्तारित चौड़ाई के रास्ते पर नवीन रिकॉर्डेड रास्ता चाहा गया है। ऐसी स्थिति में स्पष्ट होता है कि प्रार्थी द्वारा पूर्व से ही विद्यमान / मौके पर चालू रास्ते को ही रिकॉर्ड में दर्ज करवाने हेतु रास्ता चाहा गया है। इस स्थिति में प्रार्थी को अपनी खातेदारी आराजी तक पहुंच हेतु वास्तव में रास्ते की आवश्यकता केवल सुविधाजनक नहीं होकर आवश्यकता आत्यांतिक प्रतीत होता है। उक्त स्थिति में भी प्रार्थी का प्रार्थना—पत्र द्वितीय शर्त की पुष्टि करता प्रतीत होता है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2026.05.06 10:55:23 IST
Reason: SelfAttested

3. तृतीय स्थिति में प्रार्थी द्वारा आवेदित रास्ता पूर्व से ही दर्ज रिकॉर्ड/कट्टाण रास्ते/सड़क से कोई संबंध नहीं रखता है तथा प्रार्थी द्वारा केवल एक या एक से अधिक खसरों से होकर नवीन रास्ता चाहा गया है। ऐसी स्थिति में प्रतीत होता है कि प्रार्थी द्वारा अपनी खातेदारी आराजी तक पहुंच हेतु सम्पूर्ण रास्ते को रिकॉर्ड में दर्ज करवाने हेतु अनुतोष नहीं चाहा गया है। यहां यह संशय उत्पन्न होता है कि प्रार्थी द्वारा गलत मंशा से प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया गया है। इस स्थिति में प्रार्थी को अपनी खातेदारी आराजी तक पहुंच हेतु वास्तव में रास्ते की आवश्यकता आत्यांतिक नहीं होकर केवल सुविधाजनक प्रतीत होती है। उक्त स्थिति में प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र द्वितीय शर्त की पुष्टि नहीं करता प्रतीत होता है।

4. चतुर्थ स्थिति में प्रार्थी द्वारा आवेदित रास्ता पूर्व से ही दर्ज रिकॉर्ड/कट्टाण रास्ते/सड़क से कोई संबंध नहीं रखता है तथा प्रार्थी द्वारा केवल एक या एक से अधिक खसरों से होकर नवीन रास्ता चाहा गया है। ऐसी स्थिति में प्रतीत होता है कि प्रार्थी द्वारा अपनी खातेदारी आराजी तक पहुंच हेतु सम्पूर्ण रास्ते को रिकॉर्ड में दर्ज करवाने हेतु अनुतोष नहीं चाहा गया है। यहां यह स्थिति हो सकती है कि जिन खसरों से रास्ते का अंकन नहीं चाहा गया है वो कोई प्रतिबंधित भूमि किस्म या सामलाती भूमि यथा–चारागाह, नदी, नाले आदि के खसरे हो सकते हैं। ऐसी स्थिति में प्रतिबंधित भूमि किस्म या सामलाती भूमि से होकर रास्ते के अंकन की आवश्यकता नहीं होती है। ऐसी स्थिति में केवल खातेदारी भूमि से होकर रास्ते का अंकन तथा प्रतिबंधित भूमि में रास्ते का गैर–अंकन अपेक्षित होता है। इस स्थिति में प्रार्थी को अपनी खातेदारी आराजी तक पहुंच हेतु वास्तव में रास्ते की आवश्यकता आत्यांतिक प्रतीत होती है। उक्त स्थिति में प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र द्वितीय शर्त की पुष्टि करता प्रतीत होता है।

10. राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 की धारा–251–क एवं राजस्थान काश्तकारी (सरकार) नियम–1955, के नियम 68 लगायत 70 द्वारा अध्यारोपित उक्त पूर्वशर्तो के तहत प्रकरण का विश्लेषण किया जाना अपेक्षित है। उक्त प्रकरण में प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र के पैरा संख्या–4 में अन्य वैकल्पिक रास्ते की अनुपलब्धता का जिक्र किया गया है। प्रकरण में तहसीलदार धोरीमना द्वारा अपने पत्रांक/भू.अ./2025/2318 दिनांक 11.09.2025 द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट के अवलोकन से भी प्रार्थी की खातेदारी आराजी तक रिकॉर्डेड रास्ते का अंकन नहीं होना स्पष्ट किया गया है। प्रकरण में राजस्व ग्राम कोजा के राजस्व नक्शे में प्रासंगिक भाग के अवलोकन से प्रतीत होता है कि प्रार्थी की खातेदारी आराजी तक विद्यमान रास्ते से मुख्य सड़क तक पहुंच हेतु कोई वैकल्पिक रास्ता दर्ज रिकॉर्ड नहीं है। उक्त प्रकरण स्थिति संख्या 01 के अंतर्गत आता है। प्रकरण में प्रार्थी की खातेदारी आराजी खसरा संख्या 525 मौजा रामवास तहसील धोरीमना है। प्रार्थी द्वारा खसरा संख्या 516 के दक्षिणी सेढे से होकर खसरा संख्या 523, 522 व 524 मौजा रामवास तहसील धोरीमना से होकर अपनी खातेदारी आराजी खसरा संख्या 525 मौजा रामवास तहसील धोरीमना तक रास्ते हेतु आवेदन किया है। प्रकरण में खसरा संख्या 516 के दक्षिणी सेढे से होकर खसरा संख्या 523, 522 व 524 मौजा रामवास तहसील धोरीमना में रिकॉर्डेड रास्ते का अभाव है। इस प्रकार प्रकरण में प्रार्थी

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2026.05.06 10:55:23 IST
Reason: SelfAttested

को नवीन रास्ते की आवश्यकता केवल सुविधाजनक नहीं होकर आत्यांतिक प्रतीत होती है। इस प्रकार शर्त संख्या 02 की पूर्णरूप से पुष्टि होती है। अतः उक्त विश्लेषण के अनुसार शर्त संख्या 1 व 2 की पूर्णरूप से पुष्टि होती है। इस प्रकार प्रार्थी का नवीन रास्ते बाबत अनुतोष स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 की धारा 251–क के तहत आरोपित शर्त संख्या 1 व 2 की पूर्णरूप से पुष्टि होने से प्रार्थी की आराजी तक नवीन रास्ता रिकॉर्ड में दर्ज करने का अनुतोष स्वीकार किया जाता है। अब इसके पश्चात तृतीय शर्त बिन्दु पर विश्लेषण किया जाना है कि उक्त नवीन रास्ता किस आराजी में से होकर किस रूट से होकर कितनी चौडाई का **लघुत्तम मार्ग** रास्ता का अनुतोष स्वीकार किया जाना है।

11. इस प्रकार राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 की धारा 251–क के तहत आरोपित तीसरी शर्त के अनुसार नवीन रास्ते हेतु लघुत्तम मार्ग का विकल्प पर विचार किया जाना आवश्यक है। उक्त प्रस्ताव का नजरी नक्शा निम्न प्रकार है–

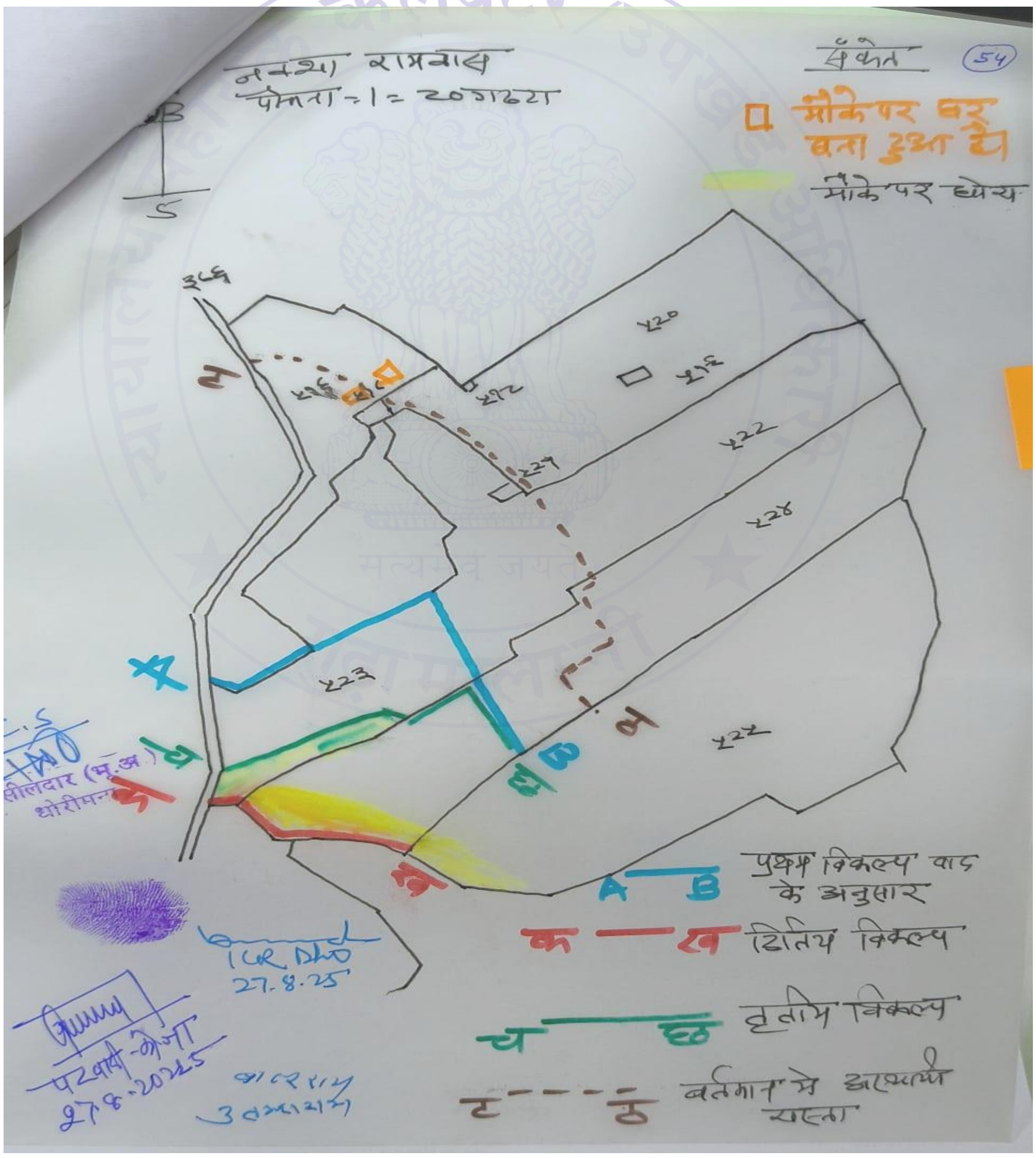

Signature Not Verified
Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2026.05.06 10:55:23 IST
Reason: SelfAttested

12. प्रकरण में प्रार्थी द्वारा प्रार्थी की खातेदारी आराजी खसरा संख्या 525 मौजा रामवास तहसील धोरीमना में पहुँच के प्रयोजन के लिए मौके अप्रार्थीगण की खातेदारी आराजी खसरा संख्या 516 के दक्षिणी सेढे से होकर खसरा संख्या 523, 522 व 524 मौजा रामवास तहसील धोरीमना में रिकॉर्डेड रास्ते का अभाव है। अतः अप्रार्थीगण की खातेदारी आराजी खसरा संख्या 516 के दक्षिणी सेढे से होकर खसरा संख्या 523, 522 व 524 मौजा रामवास तहसील धोरीमना के सेढे से होकर नवीन रिकॉर्डेड रास्ता हेतु निवेदन किया है। प्रकरण में तहसीलदार धोरीमना द्वारा प्रेषित शामिल मिसल रिपोर्ट पत्रांक / भू.अ. / 2025 / 2318 दिनांक 11.09.2025 द्वारा प्रार्थी की आराजी खसरा संख्या 525 मौजा रामवास तहसील धोरीमना तक पहुंच हेतु रास्ते के तीन विकल्प प्रस्तुत किये है। **प्रथम**–प्रस्तावित वैकल्पिक रास्ता खसरा संख्या 516 के दक्षिणी सेढे से होकर खसरा संख्या 523, 522 व 524 मौजा रामवास तहसील धोरीमना से होकर नीले रंग से बिन्दु संख्या ए से बी तक प्रस्तावित किया है। **द्वितीय**– रास्ता खसरा संख्या 523 व 524 मौजा रामवास तहसील धोरीमना से होकर प्रार्थी की आराजी तक हरे रंग से बिन्दु संख्या च से छ तक प्रस्तावित किया है। **तृतीय**– रास्ता खसरा संख्या 523 व 524 मौजा रामवास तहसील धोरीमना से होकर प्रार्थी की आराजी तक लाल रंग से बिन्दु संख्या क से ख तक प्रस्तावित किया है। उक्त तृतीय विकल्प की गूगल सैटेलाईट चित्र निम्न प्रकार है–

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2026.05.06 10:55:23 IST
Reason: SelfAttested

13. प्रकरण में उक्त द्वितीय (हरे रंग) तथा प्रथम विकल्प (पीले रंग से) को गूगल सैटेलाईट चित्र निम्न प्रकार है—

14. प्रकरण में उक्त तीनों रास्तों के विकल्पों का विश्लेषण किया जाना अपेक्षित है। प्रकरण में द्वितीय विकल्प का मार्ग उक्त तीनों प्रस्तावों में प्रथम दृष्टया देखने पर प्रथम विकल्प से लघुत्तर एवं तृतीय विकल्प से लंबा प्रतीत होता है। परन्तु उक्त द्वितीय विकल्प के रास्ते में धोरा होने तथा खसरों का विखण्डन होने से सबसे कम व्यावहारिक रास्ता का विकल्प प्रतीत होता है।

15. प्रकरण में अब तृतीय व प्रथम विकल्प पर विश्लेषण किया जाना अपेक्षित है। उक्त तृतीय विकल्प (लाल रंग) प्रथमदृष्टया केवल राजस्व नक्शे को देखने पर यह प्रतीत होता है कि तृतीय विकल्प लम्बाई के अनुसार प्रथम व द्वितीय विकल्प की तुलना में लघुतम रास्ता है। लेकिन तृतीय विकल्प द्वारा प्रदर्शित रास्ता की भूमि मौके पर एकदम उंचा टीला से युक्त है। इस कारण तृतीय विकल्प द्वारा प्रदर्शित रास्ते की भूमि से होकर व्यवहार में रास्ता मौके पर चलायमान किया जाना बहुत मुश्किल कार्य है। साथ ही भविष्य में तीव्र एवं तीक्ष्ण ढलान के कारण उक्त रास्ता व्यवहारिक नहीं है। प्रथम विकल्प के रास्ते में आने वाली आराजी के अधिकतर खातेदारों ने उक्त प्रस्ताव व रास्ते पर सहमति व्यक्त की है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2026.05.06 10:55:23 IST
Reason: SelfAttested

16. उक्त प्रथम विकल्प को देखने पर ऐसा लगता है कि इस विकल्प के मार्ग से खसरा संख्या 523 व 524 का विखण्डन होगा। परंतु असल में प्रथम विकल्प में आने वाले आराजी के संयुक्त खातेदारों में मौके पर वहामी विभाजन किया हुआ है तथा उक्त वहामी विभाजन अनुसार मौके पर सेढ़ा बनाकर पृथक—पृथक काबिज काश्त है। उक्त सहखातेदारों में से अधिकतर सहखातेदार को प्रथम विकल्प से रास्ते की उपलब्धता होना प्रस्तावित है। साथ ही तृतीय विकल्प मार्ग पर पूर्व से ही मौके पर कच्चा रास्ता चालू है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि प्रथम विकल्प के रास्ते में आने वाले खातेदारान को भी अप्रत्यक्ष रूप से रास्ते की उपलब्धता होगी। इस प्रकार व्यवहार में प्रथम विकल्प के मार्ग से मौके पर खेतों का विखण्डन नहीं हो रहा है।

17. इस प्रकार उक्त विश्लेषण के अनुसार तहसीलदार धोरीमना द्वारा प्रेषित शामिल मिसल रिपोर्ट पत्रांक / भू.अ. / 2025 / 2318 दिनांक 11.09.2025 के अवलोकन अनुसार **प्रथम विकल्प** का मार्ग ही लघुत्तम व व्यावहारिक मार्ग प्रतीत होता है। अतः राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955 की धारा 251—क के तहत आरोपित तीसरी शर्त के अनुसार नवीन रास्ते हेतु लघुत्तम मार्ग का विकल्प मुताबिक तहसीलदार धोरीमना द्वारा प्रेषित शामिल मिसल रिपोर्ट पत्रांक / भू.अ. / 2025 / 2318 दिनांक 11.09.2025 द्वारा खसरा संख्या 516 के दक्षिणी सेढे से होकर खसरा संख्या 523, 522 व 524 मौजा रामवास तहसील धोरीमना से होकर प्रस्तावित मार्ग का विकल्प को स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

18. इस प्रकार उक्त प्रकरण में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955 की धारा 251—क के विधिक प्रावधानों के सन्दर्भ में प्रार्थीगण हेतु रास्ते की अत्यान्तिक आवश्यकता एवं वैकल्पिक रिकार्डेड रास्ते हेतु अनुपलब्धता एवं तहसीलदार धोरीमना द्वारा प्रेषित शामिल मिसल रिपोर्ट पत्रांक / भू.अ. / 2025 / 2318 दिनांक 11.09.2025 मौका जॉच रिपोर्ट मय नजरी नक्शा के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251—क काबिल—ऐ स्वीकार है। अतः तहसीलदार धोरीमना द्वारा प्रेषित शामिल मिसल रिपोर्ट पत्रांक / भू.अ. / 2025 / 2318 दिनांक 11.09.2025 की मौका जॉच रिपोर्ट मय नजरी नक्शा के अनुसार खसरा संख्या 516 के दक्षिणी सेढे से होकर खसरा संख्या 523, 522 व 524 मौजा रामवास तहसील धोरीमना में से बरंग नीले से बिन्दु संख्या ए से बी अंकित मार्ग पर गैर मुमकिन रास्ते की क्षतिपूर्ति राशि प्रार्थी, अप्रार्थी को उपलब्ध करवाने के पश्चात् राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जाना न्यायसंगत प्रतीत होता है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः

आदेश है कि

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251—क के अन्तर्गत प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र पत्रावली तथा तहसीलदार धोरीमना द्वारा पत्रांक/भू.अ. /2025/2318 दिनांक 11.09.2025 द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट मय नजरी नक्शा के अवलोकन एवं विश्लेषित निष्कर्षानुसार स्वीकार किया जाकर आदेश दिये जाते है कि तहसीलदार धोरीमना द्वारा प्रेषित

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2026.05.06 10:55:23 IST
Reason: SelfAttested

शामिल मिसल रिपोर्ट पत्रांक/भू.अ./2025/2318 दिनांक 11.09.2025 के अनुसार खसरा संख्या 516 के दक्षिणी सेढे से होकर खसरा संख्या 523, 522 व 524 मौजा रामवास तहसील धोरीमना होकर बिन्दु संख्या ए से बी तक नीले रंग से अंकित मार्ग पर प्रार्थी की खातेदारी आराजी खसरा संख्या 525 मौजा रामवास तहसील धोरीमना तक 18 फीट चौडाई के रास्ते में आयी भूमि के एवज में समान रकबे से अनिम्न रकबे की भूमि प्रार्थी की खातेदारी आराजी से कम करते हुए सेढ़े–सेढ़ अप्रार्थीगण की खातेदारी आराजी में दर्ज करने के विकल्प की व्यवहारिक अनुपस्थिति में ही उक्त नवीन रास्ते में समाहित रकबे, वृक्ष व संरचना के एवज नियमानुसार आंकलित क्षतिपूर्ति राशि प्रार्थी द्वारा अदा करने पश्चात तहसीलदार धोरीमना द्वारा पत्रांक/भू.अ./2025/2318 दिनांक 11.09.2025 द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट मय नजरी नक्शा अनुसार खसरा संख्या 516 के दक्षिणी सेढे से होकर खसरा संख्या 523, 522 व 524 मौजा रामवास तहसील धोरीमना में बरंग नीले से बिन्दु संख्या ए से बी प्रदर्शित मार्ग पर नवीन रास्ते को खाता संख्या–1 सिवायचक में सार्वजनिक उपयोग हेतु किस्म गैर मुमकिन रास्ता दर्ज कर अंकन किया जावें। पत्रांक/भू.अ./2025/2318 दिनांक 11.09.2025 की मौका जॉच रिपोर्ट व नजरी नक्शा निर्णय का अनन्य भाग रहेगा।

उक्त निर्णय की पालना हेतु एक प्रति तहसीलदार धोरीमना को भिजवायी जावें।

यह आदेश आज दिनांक 04.05.2026 को लिखवाया जाकर सरे–इजलास सुनाया गया एवं अधोहस्ताक्षकर्ता की मुहर व हस्ताक्षर से जारी किया गया।

(केशव कुमार मीना आर.ए.एस)
सहायक कलक्टर
गुढामालानी

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2026.05.06 10:55:23 IST
Reason: SelfAttested